

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

प्रसिद्धि

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे०डी०-91/762.—पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र प्रतिबंध अधिनियम, 1963 की धारा-4 को उप-धारा (1) (ख) द्वारा प्रदान शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई धोर इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव छपरोला के प्राथमिक विद्यालय, जिला फरीदाबाद के प्रास-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र 'सहय' घोषित करते हैं।

अनुबंध

जिला फरीदाबाद के गांव छपरोला में प्राथमिक विद्यालय के प्रास-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को दर्शाएँ !
संख्या डी०टी०पी० (एफ)-1227/90, दिनांक 26 फरवरी, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

- उत्तर: नक्शे पर चिह्नित बिन्दु "ए" से लेकर धर्मात जहाँ गांव छपरोला की राजस्व धायत संख्या 19 की पश्चिमी सीमा उक्त गांव की उत्तरी सीमा से मिलती है, उसके बाद गांव छपरोला की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु "बी" तक धर्मात जहाँ यह उक्त गांव की पूर्वी सीमा से मिलता है।
- पूर्व: उसके बाद गांव छपरोला की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक, जहाँ यह गांव पिथला की राजस्व धायत संख्या 1 की पूर्वी सीमा से मिलता है, उसके बाद गांव पिथला की राजस्व धायत संख्या 1, 19, 20, 41, 42, 63, 64 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु "सी" तक, जहाँ यह नंगला भीकू की पूर्वी सीमा से मिलता है।
- दक्षिण: उसके बाद गांव नंगला भीकू की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक, जहाँ यह गांव छपरोला की दक्षिणी सीमा से मिलता है, इसके धाये गांव छपरोला की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "डी" तक, धर्मात जहाँ यह उक्त गांव की राजस्व धायत संख्या 62 के दक्षिण-पश्चिमी कोने से मिलता है।
- पश्चिम: उसके बाद गांव छपरोला की राजस्व धायत संख्या 62, 58, 43 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ई" तक, उसके बाद गांव छपरोला की राजस्व धायत संख्या 43 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु "एफ" तक, उसके बाद गांव छपरोला की राजस्व धायत संख्या 38, 23, 19 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ए" तक धर्मात धारम्भ के बिन्दु तक।

तस्सेम सान,

धायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/762.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (b) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School, village Chhaprola, District Faridabad as specified in the Schedule of boundaries given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area, for the purpose of the said act, namely :—

ANNEXURE

Schedule of boundaries of the controlled area around primary School Village Chhaprola, District Faridabad to be read with the Drawing No. D. T P. (F) 1227/90, dated 26th February, 1990.

- North:- Starting from point 'A' marked as the plan i. e., where the western revenue rectangle No. 19 of village Chhaprola meets the Northern boundary of said village, thence towards East along the Northern boundary of village Chhaprola upto point 'C' i. e., where it meets the Eastern boundary of the said village.
- East:- Thence towards South along the Eastern boundary of village Chhaprola upto the point where it meets the Eastern boundary of revenue rectangle No. 1 of village Pirthla, further towards South along the Eastern boundary of revenue rectangle No. 1, 19, 20, 41, 42, 64 and 66 of village Pirthla upto the point 'C' where it meets the Eastern boundary of village Nangla Bhiku.
- South:- Thence towards north-west along the eastern boundary of village Nangla Bhiku upto point where village it meets the southern boundary of Chhaprola, further towards west along the southern boundary of village Chhaprola upto the point 'D' i. e., where it meets the south western corner of revenue rect. No. 62 of the said village.
- West:- Thence towards north along the western boundary of revenue rect. No. 62, 58, 43 of village Chhaprola upto the point 'E' thence towards east along the northern boundary of revenue rect. No. 43 of village Chhaprola upto point 'F', thence towards north along the western boundary of revenue rect. No. 38, 23, 19 of village Chhaprola upto the point 'A' i. e., the point of start.

TARSEM LAL,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department